

बिन्दु क्रमांक 20

स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश

महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक निगमित निकाय है। अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत संस्थान के अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग (मूल विभाग) से संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है।

मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार